



Coordination Department

नेशनल एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन NATIONAL ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONAL ASSOCIATION

प्रशासनिक कार्यालय:- द्वितीय तल, सुनील कॉम्प्लेक्स, डबल्यू०के० रोड मेरठ-250002

कैंप कार्यालय:- चतुर्थ तल, प्राइम प्लाजा, इन्दिरा नगर, लखनऊ- 226016

मुख्य कार्यालय:- जे जे क्लस्टर कॉलोनी, पीरागढ़ी, नई दिल्ली 110022

वेबसाइट/www.nahpa.in संपर्क सूत्र/0121-4349311,7078033743

Ref No. 8997 / 07 / CD / 2026 / एक / 2

Dated:- 16 / 10 / 2026

कार्यालय आदेश

नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन में पंजीकृत एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का शीर्ष राष्ट्रीय प्रतिनिधि संगठन है। देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 60% से अधिक प्रत्यक्ष योगदान देने के बावजूद, आज भी इस संवर्ग के कर्मियों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उचित वैधानिक मान्यता, कार्यस्थल सुरक्षा तथा पेशेवर सम्मान से वंचित रखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में संगठन ने देश के हर वर्ग, विधा और विभाग के प्रोफेशनल्स को संगठित करने हेतु अनुकूल 21 संक्षिप्त एवं प्रभावशाली प्रकोष्ठों के गठन का निर्णय लिया है।

NAHPA विशिष्ट प्रकोष्ठ

क्र.सं.	प्रकोष्ठ का नाम	मुख्य कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण चिकित्सक प्रकोष्ठ	प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को NCAHP एक्ट में शामिल कराना व ग्रामीण संवर्ग सुरक्षा।
2.	राष्ट्रीय अधिवक्ता प्रकोष्ठ	एलाइड प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना, 24*7 फ्री लीगल टास्क फोर्स एवं कार्यस्थल सुरक्षा।
3.	राष्ट्रीय जनआंदोलन प्रकोष्ठ	देशभर में संगठन विस्तार, रैलियों, धरनों, महापंचायत व जन-आंदोलन का केंद्रीय संचालन।
4.	राष्ट्रीय मीडिया एवं आईटी प्रकोष्ठ	टीवी, प्रिंट व डिजिटल मीडिया कैम्पेन, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, प्रेस वार्ता एवं जनसंपर्क।
5.	राष्ट्रीय महिला शक्ति प्रकोष्ठ	महिला हेल्थकेयर वर्कर्स की सुरक्षा, कार्यस्थल सम्मान, मातृत्व अधिकार व महिला नेतृत्व।
6.	राष्ट्रीय युवा शक्ति प्रकोष्ठ	एलाइड छात्रों, फ्रेशर्स को एकजुट करना, रोजगार व युवा नेतृत्व निर्माण।
7.	राष्ट्रीय पॉलिसी व रिसर्च प्रकोष्ठ	स्वास्थ्य मंत्रालय, संसद व नीति आयोग से समन्वय, श्वेत पत्र व ड्राफ्टिंग कार्य।
8.	राष्ट्रीय संविदा व कर्मचारी प्रकोष्ठ	संविदा कर्मियों का नियमितीकरण (Regularization), समान काम-समान वेतन व सेवा सुरक्षा।
9.	राष्ट्रीय प्राइवेट हेल्थकेयर प्रकोष्ठ	प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लैब्स में न्यूनतम वेतन, फिक्स वर्किंग आवर्स व शोषण मुक्ति।
10.	राष्ट्रीय लैब व इमेजिंग प्रकोष्ठ	लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स, रेडियोग्राफर्स के सिग्नेटरी राइट्स व स्वतंत्र प्रैक्टिस की पैरवी।

11.	राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी प्रकोष्ठ	फिजियोथेरेपी व रिहैब प्रोफेशनल्स के स्वतंत्र क्लीनिकल अधिकार व वैधानिक मान्यता।
12.	राष्ट्रीय इमरजेंसी व ट्रॉमा प्रकोष्ठ	108/102 एम्बुलेंस कर्मियों, ईएमटी, ट्रॉमा तकनीशियनों के लिए जोखिम भत्ता व सुरक्षा।
13.	राष्ट्रीय ओटी व आईसीयू प्रकोष्ठ	ओटी व क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजिस्ट्स का उच्च तकनीकी कैंडर व पदनाम सुधार।
14.	राष्ट्रीय ऑप्टोमेट्री प्रकोष्ठ	ऑप्टोमेट्रिस्ट्स के स्वतंत्र प्रैक्टिस अधिकार, विजन सेंटर्स सुरक्षा व काउंसिल पंजीकरण।
15.	राष्ट्रीय कम्युनिटी हेल्थ प्रकोष्ठ	प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, टीकाकरण व जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका।
16.	राष्ट्रीय वेतन व संवर्ग प्रकोष्ठ	वेतन विसंगति निवारण, उच्च ग्रेड-पे, समयबद्ध पदोन्नति (Time Scale) व पद सृजन।
17.	राष्ट्रीय हेल्थ वेलफेयर प्रकोष्ठ	दुर्घटना, बीमारी या संकट में सदस्य परिवारों को तात्कालिक आर्थिक मदद व पेंशन सुरक्षा।
18.	राष्ट्रीय स्पोर्ट्स व कल्चरल प्रकोष्ठ	हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए स्पोर्ट्स लीग, सांस्कृतिक उत्सव व सामाजिक सम्मान।
19.	राष्ट्रीय इंटरनेशनल विंग	WHO, ग्लोबल हेल्थ बॉडीज से समन्वय, विदेशों में रोजगार व ग्लोबल फेलोशिप।
20.	राष्ट्रीय विजीलेंस व सतर्कता प्रकोष्ठ	भर्ती घोटालों, फर्जीवाड़े व भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस व त्वरित हेल्पलाइन।
21.	राष्ट्रीय अवार्ड्स व सम्मान प्रकोष्ठ	उत्कृष्ट एलाइड हीरोज व शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय एलाइड रत्न व पुरस्कारों से सम्मान।
22.	राष्ट्रीय फार्मसी प्रकोष्ठ	फार्मासिस्टों के विधिक अधिकार, फार्मसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू कराना व रोजगार सुरक्षा।
23.	राष्ट्रीय आयुर्वेद प्रकोष्ठ	आयुर्वेद चिकित्सकों का संवर्धन, राष्ट्रीय स्तर पर कैंडर निर्माण व स्वतंत्र प्रैक्टिस संबल।
24.	राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रकोष्ठ	नेचुरोपैथी एवं योग विशेषज्ञों का केंद्रीय पंजीकरण, ड्रगलेस वेलनेस केंद्रों का नियमन।
25.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा प्रकोष्ठ	यूनानी चिकित्सा शोध, शासकीय नियुक्तियों में समान अवसर व संवर्ग विस्तार।
26.	राष्ट्रीय सिद्ध चिकित्सा प्रकोष्ठ	पारंपरिक सिद्ध चिकित्सा पद्धति का राष्ट्रव्यापी प्रचार, क्लिनिकल अधिकार व संरक्षण।
27.	राष्ट्रीय होम्योपैथी प्रकोष्ठ	होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के हितों की रक्षा, फेक प्रैक्टिस पर रोक व शोध प्रोत्साहन।
28.	राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा (तिब्बती) प्रकोष्ठ	हिमालयी एवं तिब्बती पारंपरिक चिकित्सा संवर्ग की मान्यता व राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण।
29.	राष्ट्रीय नर्सिंग प्रकोष्ठ	नर्सिंग स्टाफ के अनुपात सुधार, कार्यस्थल सुरक्षा, गरिमापूर्ण वेतन व कैंडर पुनर्गठन।
30.	सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रकोष्ठ	CHO, ANM व उपकेंद्र स्तर के नर्सिंग कर्मियों की सेवा शर्तें, इंसेंटिव व नियमितीकरण।

31	राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-होम्योपैथी / इलेक्ट्रोपैथी प्रकोष्ठ	इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति की केंद्रीय वैधानिक मान्यता, बोर्ड गठन व शोध संरक्षण।
32	राष्ट्रीय न्यूरोथेरेपी एवं न्यूरोपैथी प्रकोष्ठ	प्राचीन व आधुनिक ड्रगलेस न्यूरोथेरेपिस्ट्स का सशक्तिकरण व वेलनेस सेंटर मान्यता।
33	राष्ट्रीय एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर प्रकोष्ठ	ड्रगलेस दर्द निवारण विधाओं का मानकीकरण, सर्टिफिकेशन व स्वतंत्र थेरेपी अधिकार।
34	राष्ट्रीय कायरोप्रेक्टिक एवं ऑस्टियोपैथी प्रकोष्ठ	स्पाइन व मस्कुलोस्केलेटल अलाइनमेंट थेरेपिस्ट्स का रेगुलेशन व क्लिनिकल प्रोटोकॉल।
35	राष्ट्रीय समग्र एवं एकीकृत स्वास्थ्य प्रकोष्ठ	समस्त वैकल्पिक, आयुष व एलाइड विधाओं का समन्वित एकीकरण (Integrative Health)
36.	राष्ट्रीय हॉस्पिटल व क्लिनिकल फार्मसी प्रकोष्ठ	अस्पतालों में क्लिनिकल फार्मासिस्ट संवर्ग, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट व मेडिकेशन सेफ्टी।
37	राष्ट्रीय स्पीच थेरेपी एवं ऑडियोलॉजी प्रकोष्ठ	वाणी व श्रवण बाधित पुनर्वास विशेषज्ञों का वैधानिक पंजीकरण, क्लिनिक नियमन व अधिकार।
38	राष्ट्रीय पोषण एवं डायटेटिक्स प्रकोष्ठ	क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट्स व डायटीशियंस का हॉस्पिटल्स में अनिवार्य कैडर व स्वतंत्र प्रैक्टिस।
39	राष्ट्रीय दंत टेक्नोलॉजी प्रकोष्ठ	डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट्स, हाइजीनिस्ट्स व लैब प्रोफेशनल्स का मानकीकरण व तकनीकी अधिकार।
40	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रकोष्ठ	मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स की विधिक मान्यता व डिप्रेशन मुक्ति अभियान।
41.	राष्ट्रीय छात्र उत्थान प्रकोष्ठ	विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा, कॉलेजों में फीस नियमन, हॉस्टल व शैक्षणिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
42.	राष्ट्रीय कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रकोष्ठ	आयुष्मान आरोग्य मंदिर/HWC में पदस्थ समस्त CHOs का नियमितीकरण, समान सेवा शर्तें, ट्रांसफर पॉलिसी व कैडर सुरक्षा।
43.	राष्ट्रीय आशा एवं संगिनी कल्याण प्रकोष्ठ	आशा कार्यकर्ताओं व फैसिलिटेटर्स को न्यूनतम मानदेय, नियमित कर्मचारी का दर्जा, मातृत्व लाभ व स्वास्थ्य बीमा।
44.	राष्ट्रीय पारंपरिक एवं जनजातीय वैद्य प्रकोष्ठ	आदिवासी व पारंपरिक नाडीध्वज-बूटी वैद्यों के परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण, संरक्षण व कानूनी संबल।
45	राष्ट्रीय पंचायती राज स्वास्थ्य समन्वय प्रकोष्ठ	ग्राम पंचायतों एवं ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य समितियों के साथ समन्वय व ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना सुधार।
46.	राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सहायक प्रकोष्ठ	दाई, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स व मातृ-शिशु देखरेख सहायकों का क्षमता संवर्धन व सम्मानजनक मानदेय।
47.	राष्ट्रीय दिव्यांग एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य पेशेवर प्रकोष्ठ	दिव्यांग स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुगम कार्यस्थल, आरक्षण लाभ व सेवानिवृत्त वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मियों का कल्याण।

48.	राष्ट्रीय मैग्नेटोथेरेपी व बायो-एनर्जी हीलिंग प्रकोष्ठ	चुंबक चिकित्सा, बायो-एनर्जी, रेकी व ऊर्जा उपचार पद्धतियों का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण व विकास।
49.	राष्ट्रीय कपिंग एवं हिजामा थेरेपी प्रकोष्ठ	ड्राई/वेट कपिंग व रिजीमेंटल थेरेपी प्रैक्टिशनर्स का हाइजीन स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस व स्वतंत्र प्रैक्टिस सुरक्षा।
50.	राष्ट्रीय शोधार्थी एवं उच्च शिक्षा प्रकोष्ठ	MD, MS, M.Sc, PhD व मास्टर्स शोधार्थियों को समयबद्ध फेलोशिप, रिसर्च ग्रांट्स व राष्ट्रीय सम्मेलनों में अवसर।




 अभिषेक गिरि / Abhishek Giri
 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष / National Vice President
 नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन
 National Allied and Healthcare Professional Association
 Former Name : Indian Paramedical Association

एडवोकेट अभिषेक गिरि
 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष/मुख्य संयोजक
 राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद
 नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल
 एसोसिएशन

Ref No. 8988 / 07 / CD / 2026 / एक / 2

Dated:— 16 / 10 / 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियान्वयन हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मा० अध्यक्ष जी के सादर सूचनार्थ।
2. प्रभारी-मीडिया, जनसम्पर्क विभाग एवं आधिकारिक वेबसाइट/प्रचार पटल।

सूचना / विज्ञप्ति

नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन के मुख्यालय से निम्न पदों को पूरित करने के लिए कार्यालय सचिव को निर्देशित किया गया है:-

एसोसिएशन के सभी प्रकोष्ठ समितियों राष्ट्रीय, राज्यों, मंडलों एवं जिला स्तरीय पदों की पूर्ति हेतु प्रत्येक प्रकोष्ठ के सुचारु संचालन, जमीनी विस्तार तथा वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय, प्रदेशीय, मंडलीय, जिला एवं ग्राम स्तर पर 5-स्तरीय प्रकोष्ठ समितियों का गठन किया गया है। किसी भी प्रकार की विसंगति से बचने हेतु प्रत्येक पद के लिए आधिकारिक मनोनयन सहयोग राशि निर्धारित की गई है:-

आवेदन/नामांकन आमंत्रण 2026

राष्ट्रीय प्रकोष्ठ समिति

कार्यक्षेत्र:- संपूर्ण भारत। कमान:- केंद्रीय सचिवालय, नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन

क्र० सं०	पदों के नाम	पदों की संख्या	न्यूनतम आयु	अनुभव	मनोनयन राशि
1.	अध्यक्ष	1	21 वर्ष	कम से कम 3 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	31,000/-
2.	उपाध्यक्ष	45	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	21,000/-
3.	महासचिव	1	21 वर्ष	कम से कम 3 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	31,000/-
4.	संयुक्त महासचिव	41	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	11,000/-
5.	संगठन मंत्री	31	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	11,000/-
6.	कोषाध्यक्ष	1	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष	31,000/-

				(किसी भी सामाजिक संगठन में)	
7.	प्रवक्ता	40	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	11,000 / –
8.	आई.टी. प्रभारी	31	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	11,000 / –
9.	मीडिया प्रभारी	31	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	11,000 / –
10.	युवा परिषद संयोजक	31	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	11,000 / –

प्रदेशीय प्रकोष्ठ समिति

कार्यक्षेत्र:— आवंटित प्रदेश। कमान:— केंद्रीय सचिवालय, नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन

क्र० सं०	पदों के नाम	पदों की संख्या	न्यूनतम आयु	अनुभव	मनोनयन राशि
1.	अध्यक्ष	1	21 वर्ष	कम से कम 3 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	21,000 / –
2.	उपाध्यक्ष	28	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	11,000 / –
3.	महासचिव	1	21 वर्ष	कम से कम 3 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	21,000 / –

4.	संयुक्त महासचिव	41	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	5100 / –
5.	संगठन मंत्री	31	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	5100 / –
6.	कोषाध्यक्ष	1	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	21,000 / –
7.	प्रवक्ता	40	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	5100 / –
8.	आई.टी. प्रभारी	31	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	5100 / –
9.	मीडिया प्रभारी	31	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	5100 / –
10.	युवा परिषद संयोजक	31	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	5100 / –

मंडलीय प्रकोष्ठ समिति

कार्यक्षेत्र:- आवंटित मंडल। कमान:- केंद्रीय सचिवालय, नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन

क्र० सं०	पदों के नाम	पदों की संख्या	न्यूनतम आयु	अनुभव	मनोनयन राशि
1.	अध्यक्ष	1	21 वर्ष	कम से कम 3 वर्ष (किसी भी)	11,000 / –

				सामाजिक संगठन में)	
2.	उपाध्यक्ष	15	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	8900/-
3.	महासचिव	1	21 वर्ष	कम से कम 3 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	11,000/-
4.	संयुक्त महासचिव	21	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	8900/-
5.	संगठन मंत्री	21	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	8900/-
6.	कोषाध्यक्ष	1	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	11,000/-
7.	प्रवक्ता	21	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	8900/-
8.	आई.टी. प्रभारी	21	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	8900/-
9.	मीडिया प्रभारी	21	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	8900/-
10.	युवा परिषद संयोजक	21	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	8900/-

जिला प्रकोष्ठ समिति

कार्यक्षेत्र:- आवंटित जिला। कमान:- केंद्रीय सचिवालय, नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन

क्र० सं०	पदों के नाम	पदों की संख्या	न्यूनतम आयु	अनुभव	मनोनयन राशि
1.	अध्यक्ष	1	21 वर्ष	कम से कम 3 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	5100/-
2.	उपाध्यक्ष	15	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	3100/-
3.	महासचिव	1	21 वर्ष	कम से कम 3 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	5100/-
4.	संयुक्त महासचिव	21	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	2760/-
5.	संगठन मंत्री	21	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	2760/-
6.	कोषाध्यक्ष	1	21 वर्ष	कम से कम 2 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	5100/-
7.	प्रवक्ता	21	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	2760/-
8.	आई.टी. प्रभारी	21	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी	2760/-

				सामाजिक संगठन में)	
9.	मीडिया प्रभारी	21	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	2760 / –
10.	युवा परिषद संयोजक	21	21 वर्ष	कम से कम 1 वर्ष (किसी भी सामाजिक संगठन में)	2760 / –

वेतनमान

यह कि, संगठन का मूल उद्देश्य राष्ट्रहित एवं जनहित में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के पेशेवरों को एक साझा मंच पर संगठित कर, उनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को स्थापित करना है। यह कि, एसोसिएशन का कार्य स्वभावतः अलाभकारी (NonProfit) एवं सामाजिक सेवा प्रधान है। यह किसी प्रकार का व्यवसाय अथवा वाणिज्यिक उपक्रम नहीं है।

अतः यह स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाता है कि:—

- कोई भी पदाधिकारी अथवा सदस्य एसोसिएशन से किसी प्रकार के वेतन, मानदेय अथवा पारिश्रमिक का दावा प्रस्तुत नहीं करेगा।
- सभी पद एवं दायित्व निःस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवा के अंतर्गत ग्रहण किए जाएंगे।
- पद ग्रहण करने वाले प्रत्येक अधिकारी यह शपथपूर्वक घोषित करेंगे कि वे केवल संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सेवा देंगे और व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हेतु किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे।
- यदि कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य इस सिद्धांत के विपरीत किसी प्रकार का आर्थिक लाभ लेने या दावा करने का प्रयत्न करता है तो उसे नियमों के प्रतिकूल आचरण माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एसोसिएशन की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

स्पष्ट किया जाता है कि:—

- एसोसिएशन की समस्त गतिविधियाँ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ब) (संगठन बनाने का अधिकार) एवं अनुच्छेद 51(क) (नागरिक का मूल कर्तव्य) की भावना के अनुरूप

संचालित होंगी। यह कार्य जनहितार्थ एवं समाजोपयोगी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, न कि व्यक्तिगत लाभ अथवा निजी पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए।

नोट:— अतः यह सूचित किया जाता है कि सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपर्युक्त सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करें और संगठन को राष्ट्रहित एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के हितों में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।




अभिषेक गिरि / Abhishek Giri
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष / National Vice President
नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन
National Allied and Healthcare Professional Association
Former Name : Indian Paramedical Association

एडवोकेट अभिषेक गिरि
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष/मुख्य संयोजक
राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद
नेशनल अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल
एसोसिएशन

Ref No. 8997 / 07 / CD / 2026 / एक / 2

Dated:— 16 / 10 / 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियान्वयन हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मा० अध्यक्ष जी के सादर सूचनार्थ।
2. प्रभारी—मीडिया, जनसम्पर्क विभाग एवं आधिकारिक वेबसाइट/प्रचार पटल।
3. आधिकारिक अभिलेख/मास्टर फाइल।


अभिषेक गिरि / Abhishek Giri
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष / National Vice President
नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन
National Allied and Healthcare Professional Association
Former Name : Indian Paramedical Association

एडवोकेट अभिषेक गिरि
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष/मुख्य संयोजक
राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद
नेशनल अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल
एसोसिएशन

संवैधानिक अधिकार, कर्तव्य, विधिक शक्तियां

1. प्रस्तावना, संवैधानिक आधार एवं वैधानिक शक्ति

नेशनल एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं संबद्ध स्वास्थ्यकर्मियों का सर्वोच्च, सशक्त और वैधानिक रूप से प्रतिबद्ध **राष्ट्रीय महासंघ** है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ऐतिहासिक कानून **National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021** के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु यह संगठन देश के करोड़ों पैरामेडिकल, एलाइड और हेल्थकेयर कर्मियों की ढाल और नीति-निर्धारक शक्ति के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख संवैधानिक एवं विधिक स्तंभः—

- **अनुच्छेद 19(1)(ब) – भारत का संविधानः**— स्वास्थ्यकर्मियों के हितों के संरक्षण हेतु संगठन निर्माण, संचालन और राष्ट्रव्यापी प्रतिनिधित्व का असीम मौलिक अधिकार।
- **अनुच्छेद 21 – गरिमापूर्ण जीवन एवं आजीविका का अधिकारः**— प्रत्येक हेल्थकेयर कार्यकर्ता को सुरक्षित कार्यस्थल, जोखिम भत्ता, सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा पाने का मूलभूत अधिकार।
- **अनुच्छेद 39(क) – समान कार्य के लिए समान वेतनः**— संविदा, आउटसोर्स और प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हेल्थकर्मियों के शोषण के विरुद्ध विधिक अनिवार्यता।
- **NCAHP Act, 2021 की धाराएंः**— 56 एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के मानकीकरण, केंद्रीय एवं राज्य परिषदों में प्रतिनिधित्व और स्वतंत्र प्रैक्टिस की कानूनी गारंटी।

2. इन राष्ट्रीय पदों को धारण करने के अतुलनीय लाभ एवं विशेषाधिकार

NAHPA का कोई भी पद केवल एक पदनाम नहीं है, अपितु यह भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतिगत प्रभाव, विधिक सुरक्षा, प्रशासनिक दबदबा और असीमित सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस संगठन के पदाधिकारी बनते ही संबंधित व्यक्ति को निम्नलिखित असाधारण अधिकार और लाभ स्वतः प्राप्त होते हैंः—

1. राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्धारण एवं प्रशासनिक भागीदारीः—

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, राज्य स्वास्थ्य विभागों और राज्य स्वास्थ्य परिषदों की आधिकारिक बैठकों में संगठन के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और नीतियों के निर्माण में सीधा हस्तक्षेप करने का वैधानिक अधिकार।

2. सशक्त विधिक संरक्षण एवं विधि प्रकोष्ठ का अभेद्य कवच:—

कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, झूठे मुकदमों, अस्पताल प्रबंधन के अत्याचार या प्रशासनिक बदले की भावना के विरुद्ध संगठन की शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय विधि प्रकोष्ठ द्वारा चौबीसों घंटे निःशुल्क कानूनी सहायता और विधिक सुरक्षा।

3. असाधारण सामाजिक प्रतिष्ठा, शिष्टाचार एवं प्रशासनिक पहचान:—

राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में आधिकारिक पहचान पत्र, राष्ट्रीय वाहन पहचान पट्टिका, प्रशासनिक स्तर पर जनसुनवाई का अधिकार और जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों से सीधे संवाद व वार्ता का सर्वोच्च विशेषाधिकार।

4. संवर्ग संवर्धन, नियमितीकरण एवं सेवा रक्षा:—

संविदा कर्मियों के स्थायीकरण, वेतन विसंगति निवारण, समयबद्ध पदोन्नति और नए पदों के सृजन हेतु शासन-प्रशासन पर दबाव बनाने वाली प्रमुख कमेटियों की अध्यक्षता व संचालन का गौरव।

5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान व विस्तार:—

विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य महासंघों और वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध व सम्मान प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

6. जनसेवा, नेतृत्व एवं अमर सामाजिक प्रभाव:—

लाखों शोषित, अल्पवेतनभोगी और असुरक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की आवाज बनकर उनका जीवन संवारने और भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने का सबसे बड़ा मंच।

3. विधिक विशेषाधिकार, अनुशासन एवं शपथ-पत्र

NAHPA के प्रत्येक पदाधिकारी को संगठन की निष्ठा, स्वास्थ्यकर्मियों के अधिकारों और भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण वफादारी की शपथ लेनी होती है। पदाधिकारियों के संरक्षण हेतु विधिक प्रकोष्ठ सदैव तत्पर रहता है।

आधिकारिक शपथ:-

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं नेशनल एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन के संविधान, उद्देश्यों और आदर्शों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा/करूंगी। मैं प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी के संवैधानिक, विधिक और मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहूंगा/रहूंगी। मैं अपने पद का प्रयोग केवल पीड़ित मानवता की सेवा, संगठन की उन्नति और राष्ट्रहित में करूंगा/करूंगी।

विधिक नियम व सेवा शर्तें:-

- 1. पद की अवधि:-** सामान्यतः निर्वाचित अथवा मनोनीत पद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जिसे उत्कृष्ट कार्य के आधार पर विस्तारित किया जा सकेगा।
- 2. अनुशासन एवं पारदर्शिता:-** किसी भी प्रकार के वित्तीय गबन, अनुशासनहीनता या संगठन-विरोधी गतिविधियों पर अनुशासनात्मक समिति द्वारा सदस्यता तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
- 3. विधिक संरक्षण:-** संगठन के आधिकारिक कार्यों के निर्वहन के दौरान किसी भी पदाधिकारी पर होने वाले प्रशासनिक हमले की स्थिति में संगठन संपूर्ण विधिक, आर्थिक व नैतिक जिम्मेदारी वहन करेगा।

यह अधिकार पत्र एवं नियमावली नेशनल एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन के केंद्रीय बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पारित एवं विधिक रूप से अधिकृत है।




अभिषेक गिरि / Abhishek Giri
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष / National Vice President
नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन
National Allied and Healthcare Professionals Association
Former Name : Indian Paramedical Association

एडवोकेट अभिषेक गिरि
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष/मुख्य संयोजक
राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद

Ref No. 8997 / 07 / CD / 2026 / एक / 2

Dated:— 16 / 10 / 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियान्वयन हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मा० अध्यक्ष जी के सादर सूचनार्थ ।
2. प्रभारी—मीडिया, जनसम्पर्क विभाग एवं आधिकारिक वेबसाइट/प्रचार पटल ।
3. आधिकारिक अभिलेख/मास्टर फाइल ।